(v) कर्मचारियों को दक्षता और शिष्टतापूर्ण सेवा प्रदान करने की शिक्षा देना।

भोजन-व्यवस्था में सुधार के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, उन्हें देखते हुए इस समय सभी रेलों के शुल्कदर में सामान्यतः कोई बढ़ती करने का विचार नहीं है।

राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 1967 को कार्यान्वित करने के लिए क्षेत्रीय रेलवे द्वारा अतिरिक्त राजपत्रित तथा अराजपत्रित कर्मचारियों की मांग

5018. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 1967 को कार्यान्वित करने के लिए क्षेत्रीय रेलवे ने अतिरिक्त राजपत्रित तथा अराजपत्रित कर्मचारियों की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो अधिनियम को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए इन अतिरिक्त राजपत्रित तथा अराजपत्रित पदों के निर्माण के लिए कब तक मंजूरी दिए जाने की सम्भावना है?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख). कुछ समय पूर्व, रेल प्रशासनों से यह कहा गया था कि वे अनुवाद सम्बन्धी काम की वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा करें और यदि उन्हें अतिरिक्त पदों की आवश्यकता हो तो, उनके लिए अपने प्रस्ताव भेजें। कुछ क्षेत्रीय रेलों के प्रस्ताव अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। जैसे ही सभी रेलों से प्रस्ताव प्राप्त हो जाएंगे, हिन्दी के काम के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था करने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

विदेशों में नौकरी ढूंढने वाले इस्पात कारखानों के इंजीनियर

5019. **श्री महाराज सिंह भारती : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी क्षेत्र के विभिन्न इस्पात कारखानों के कारखानेवार कितने इंजीनियरों ने विदेशों में नौकरी के लिए आवेदन पत्र भेजे हैं;

(ख) क्या यह सच है कि विदेशों में नौकरी के लिए अधिकतम आवेदन पत्र अर्थात् लगभग 200 आवेदन पत्र दुर्गापुर इस्पात कारखाने के कर्मचारियों द्वारा भेजे गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). जानकारी प्राप्त की जा रही है और एक विवरण सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

इस्पात कारखानों के "रोलिंग मिलों" की क्षमता

5020. **श्री महाराज सिंह भारती : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों के "रोलिंग मिल" की दक्षता बहुत कम है और जो क्षमता वहां उपलब्ध है उसे पूर्ण रूप से उपयोग में नहीं लाया जा रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस बात के बावजूद भी कि टाटा आयरन एण्ड स्टील की इस्पात उत्पादन क्षमता केवल 20 लाख मीटरी टन है और इसके पास रोलिंग मिल की 30 लाख मीटरी टन की क्षमता है; तथा